भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशाल उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 1207/खनन–व0वि0नि0/आशयपत्र/भू0खनि0ई0/2019–20 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप
आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के बिन्दु–08 "निगमों हेतु राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में चुगान की प्रक्रिया" तथा बिन्दु–21 "चुगान पट्टा/अनुज्ञा हेतु पर्यावरणीय अनुमति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent)" के उपबिन्दु (1) में वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–11 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृति किये जाने के किये गये प्राविधान के दृष्टिगत वन क्षेत्र के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों मे उपखनिजों के चुगान का खनन पट्टा चाहने हेतु प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 के पत्र संख्या उ–5636/उपखनिज/आशयपत्र (4) दिनांक 26.12.2019 एवं पत्र संख्या 5762/उपखनिज/आशय पत्र (4) दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में इस इस आशय पत्र (Letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार आवेदक प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 के पक्ष में उनके द्वारा जनपद नैनीताल के 04 एवं देहरादून के 01 आवेदित उपखनिज लॉटों जिनका विवरण तालिका–1 में निम्नवत उल्लिखित है को 05 वर्ष (पांच वर्ष) की अवधि हेतु उपखनिज चुगान हेतु खनन पट्टे पर स्वीकृत करने की मंशा रखती है:–

क्र0सं0	जनपद	आवेदित उपखनिज क्षेत्र का नाम	वन प्रभाग एवं कक्ष संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	मात्रा (टन में)
1	नैनीताल	कोशी–दाबका भाग–2,	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	150	253000
2		बौर,		70	115500
3		भाखडा,		60	99000
4		निहाल,		100	165000
5	देहरादून	चन्द्रभागा,	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	190	3135000

आवेदक प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 द्वारा उपरोक्त तालिका में उल्लिखित लॉटों मे उपखनिज चुगान का खनन पट्टा लेने हेतु सहमति की दशा मे नीति के बिन्दु–22 के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 34 के अनुसार खनन योजना तैयार कराकर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना तथा शासनादेश संख्या 922/VII-1/11 रिट/2012 दिनांक 26 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशानुसार EIA Notification 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति एवं फॉरेस्ट क्लीयरेन्स प्राप्त कर, प्राप्त स्वीकृतियों की प्रतिया इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्या /खनन–व0वि0नि0/आशयपत्र/भू0खनि0ई0/2019–20 तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल एवं जिलाधिकारी देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल एंव जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत खनन क्षेत्रों को जनपद की जिला सर्वे रिर्पोट में सम्मिलित करते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

Scanned by CamScanner